RAEBARELI POLICE

दिनाँक 20 मई 2026 **थाना कोतवाली नगर**

बच्चा चोरी व बिक्री करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 09 अभियुक्त (04 महिला व 05 पुरूष) गिरफ्तार-

अवगत कराना है कि वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर देकर बताया गया कि वह ग्राम बाबा खेड़ा थाना बदोगढ़ जिला टीकमगढ़ राज्य मध्य प्रदेश की रहने वाली है एवं वर्तमान मे अपने पति के साथ दिल्ली मे रहती है। दिनांक 12/05/2026 को अपने पति से नाराज होकर दिल्ली से लखनऊ चारबाग स्टेशन आयी थी तथा अपने मायके सिंगरौली (म०प्र०) जाने हेतु टिकट लेकर 13/05/2026 को त्रिवेणी एक्सप्रेस से यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान एक अज्ञात महिला व पुरुष उससे मिले और उसके साथ ही बैठ गये। वादिनी के साथ उसका बड़ा पुत्र उम्र करीब 02 वर्ष एवं छोटा पुत्र उम्र करीब 09 माह था। जनपद रायबरेली पहुंचने से पहले अज्ञात महिला ने छोटे बच्चे को खिलाने के बहाने गोद में ले लिया। रायबरेली स्टेशन पहुंचने पर उक्त महिला व पुरुष प्रार्थिनी को बहला-फुसलाकर स्टेशन के बाहर भोजनालय तक ले गये तथा मौका पाकर उसके छोटे पुत्र को लेकर फरार हो गये। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर **मु0अ0सं0-109/2026 धारा-140(1) बीएनएस** अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पुलिस टीमों का गठन कर सीसीटीवी/सर्विलांस के माध्यम से बच्चे की बरामदगी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

श्री रवि कुमार पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली **श्री आलोक सिंह** के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री अरुण कुमार नौहवार** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.05.2026 को थाना कोतवाली नगर व एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1.रामकुमार दास पुत्र राजनदास निवासी जिला अररिया राज्य बिहार 2.सुमित कुमार पुत्र दौली सिंह निवासी रामपुर उ0प्र0 3.संजय कुमार पुत्र रामचन्द्र सिंह निवासी मुरादाबाद उ0प्र0 4.हरीश चन्द्र पुत्र नयन सिंह निवासी अमरोहा उ0प्र0 5.रेशमा पत्नी रामकुमार दास निवासी जिला अररिया राज्य बिहार 6.किरणजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह निवासी उधमसिंह नगर राज्य उत्तराखंड 7.बबीता सैनी पत्नी हुकुम सैनी निवासी मुरादाबाद उ0प्र0 8.अर्चना सिंह पत्नी गम्भीर सिंह निवासी मुरादाबाद उ0प्र0 9.ब्रहम्पाल सिंह पुत्र स्व० नन्हेलाल सिंह निवासी मुरादाबाद उ0प्र0** को थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी पानी की टंकी के पास से चोरी किए गये बच्चे व सफेद रंग की HYUNDAI VENUE कार सं0-UK18M3535 के साथ नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में **धारा-143(4) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.रामकुमार दास पुत्र राजेंद्र दास निवासी मीरगंज थाना जोगबनी जनपद अररिया राज्य बिहार
2.रेशमा देवी पत्नी रामकुमार दास निवासी मीरगंज थाना मीरगंज जनपद अररिया राज्य बिहार
3.किरणजीत उर्फ सरदार आन्टी पत्नी गुरुदेव निवासी जसपुर थाना जसपुर जनपद उधम सिंह नगर राज्य उत्तराखंड
4-सुमित कुमार पुत्र दौली सिंह निवासी महमदपुर थाना टाडा जनपद रामपुर राज्य उ0प्र0
5- संजय कुमार पुत्र रामचंद्र सिंह निवासी सुरजन नगर ठाकुरद्वारा मुरादाबाद राज्य उ0प्र0
6- ब्रह्मपाल सिंह पुत्र नन्हे सिंह निवासी सूर्य नगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद राज्य उ0प्र0

7.अर्चना पत्नी गंभीर सिंह निवासी मछरिया थाना कटघर जनपद मुरादाबाद राज्य उ0प्र0

8.बबीता पत्नी हुकुम सिंह निवासी रेलवे हरथला कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद राज्य उ0प्र0

9-हरिश्चंद्र पुत्र नैन सिंह निवासी धकिया बुराबली हसनपुर जनपद अमरोहा राज्य उ0प्र0

बरामदगी:-

चोरी किया गया शिशु (उम्र करीब 09 माह) सकुशल बरामद किया गया।

01 सफेद रंग की HYUNDAI VENUE कार सं0-UK18M3535 (सीज अन्तर्गत धारा 207 एम0वी0 एक्ट)

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि ये लोग संगठित तरीके से नवजात बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त का कार्य करते थे। ये लोग अस्पतालों, गांवों एवं कस्बों में कार्य करने वाली आशा बहुओं तथा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से ऐसे दम्पत्तियों की जानकारी प्राप्त करते थे जिन्हें संतान की आवश्यकता होती थी। इसके बाद ब्रहम्पाल के क्लीनिक में कार्य करने वाले सुमित कुमार एवं किरणजीत कौर उर्फ सरदार आंटी को बच्चों की मांग के बारे में बताया जाता था। मांग मिलने पर सुमित कुमार एवं किरणजीत कौर द्वारा रामकुमार दास एवं उसकी पत्नी रेशमा को नवजात बच्चे उपलब्ध कराने के लिये कहा जाता था।

रामकुमार दास एवं रेशमा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अकेली महिलाओं को चिन्हित करते थे, जिनके साथ नवजात बच्चे होते थे। मौका पाकर वे लोग महिलाओं से जान-पहचान बढ़ाकर उनके बच्चों का अपहरण कर लेते थे। इसके बाद वे लोग गिरोह के अन्य सदस्यों सुमित कुमार, किरणजीत कौर, अर्चना, ब्रहम्पाल एवं हरीश चन्द्र से सम्पर्क कर बच्चे की डील तय करते थे। प्राप्त धनराशि का आधा हिस्सा बच्चे का अपहरण करने वाले रामकुमार दास एवं रेशमा को दिया जाता था तथा शेष रकम गिरोह के अन्य सदस्य आपस में बांट लेते थे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कोतवाली नगर

1. प्र0नि0 श्री शिवशंकर सिंह
2. उ0नि0 मोहित कुमार
3. उ0नि0 अंकुर दुबे
4. उ0नि0 सुजीत यादव
5. का0 भगवान सिंह
6. का0 पुष्पेन्द्र यादव
7. का0 दिव्यांश
8. का0 नदीम
9. रि0का0 अक्षय तिवारी
10. म0का0 संजूपाल
11. म0का0 अर्चना
12. रि0म0का0 प्रज्ञा शर्मा
13. रि0म0का0 सुनिधि

एसओजी/सर्विलांस

1. निरी0 अरविन्द यादव प्रभारी एसओजी टीम रायबरेली।
2. उ0नि0 चन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी सर्विलांस टीम रायबरेली।
3. उ0नि0 शेखर बालियान
4. उ0नि0 वागीश मिश्रा
5. मु0आ0 कौशल किशोर
6. मु0आ0 अमर सिंह
7. मु0आ0 विश्वजीत सिंह
8. आ0 संदीप यादव
9. आ0विकास पाण्डेय
10. आ0 प्रशान्त तिवारी
11. आ0 अनिल कुमार
12. आ0 अभय चौधरी
13. आ0 सचिन बेनीवाल
14. आ0 ओमकार यादव

मीडिया सेल रायबरेली